# महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्त्व:एक समग्र अध्ययन

डॉ. लक्ष्मी शर्मा,सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय महाविद्यालय, बसवा,दौसा (राजस्थान)

डॉ. चन्दन मल शर्मा, सहायक आचार्य (भूगोल)
राजकीय महाविद्यालय, टोडाभीम,करौली (राजस्थान)

## परिचय

सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता बेहतर नियन्त्रण के प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतन्त्र होता है। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो महिलाओं का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण एवं बहुआयामी दृष्टिकोण है जो कि राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलायें अपने आर्थिक स्वावलम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए अपनी शक्तियों, सम्भावनाओं, क्षमताओं, योग्यताओं व अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं। इसलिए किसी भी राष्ट्र का पूर्ण विकास तभी संभव हो पायेगा जबकि महिलाओं को समाज में उनका उचित स्थान प्रदान किया जाये एवं पुरूषों के साथ–साथ राष्ट्र विकास हेतु बराबर का सहभागी निश्चित किया जाये।महिलाओं में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि शिक्षित महिला शिक्षा के माध्यम से सहानुभूति, सहयोग, विविधता संचार और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करती है। शिक्षा के माध्यम से ही नारी सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेती है और शिक्षा से ही अपने सामाजिक विकास को उच्च स्थान तक पहुँचा पाती है। अतः प्रस्तुत शोध–पत्र में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा अपनी भूमिका को किस प्रकार निभाती है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओ के संभावित निराकरणों एवं महिला सशक्तिकरण से होने वाले लाभों साथ ही इस क्षेत्र में किये गये विविध प्रयासों को इंगित किया गया है।

## मूल शब्द

सशक्तिकरण, नारीवाद, महिला शिक्षा, प्रजातांत्रिक, राष्ट्र, स्वावलम्बन ।

## प्रस्तावना

"वेदों में सृष्टि का आदि संविधान है जिसके अन्तर्गत यह माना गया कि महिला को बराबर का सम्मान दिया जाना आवश्यक है। वेदों ने कहीं पर भी महिला के लिए विद्या अध्ययन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया क्योंकि विद्यावती महिला ही देश, समाज व राष्ट्र को सही दिशा दे सकती है।[1]शिक्षा हीवह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी समान, सशक्त व उपयोगी भूमिका का निर्वाह कर सकती है। इसीलिए समाज की आधी आबादी में आने वाली महिलायें जो कि विकास की मुख्य धारा से बाहर है उन्हें शिक्षित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। **इस सन्दर्भ में ही राधाकृष्णन आयोग का कथन था कि"स्त्रियों के शिक्षित हुये बिना किसी भी समाज के लोग शिक्षित नहीं हो सकते और यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरूषों में से किसी एक को देने की विवशता हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा होने पर निश्चित रूप से वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुँच जायेगी"**। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह स्वीकार किया गया है कि महिला विकास की प्रक्रिया समानता तक नहीं है बल्कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तेजी प्रदान करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।[2]"महिला सशक्तिकरण का प्रारम्भ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 08 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रारम्भ से माना जाता है। भारत सरकार ने समाज में लिंग आधारित भिन्नताओं को दूर करने के लिए महान नीति 1953 अपनायी एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया।[3] संयुक्तराष्ट्र संघ द्वारा जब धारणीय विकास के लक्ष्य अपनाये गये तब उनमें समावेशी शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया। विश्व विकास रिपोर्ट 1993–99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होती है। भारत में स्वतन्त्रता के समय जहाँ पुरूषों की साक्षरता दर 20 प्रतिशत थी वहीं महिलाओं की साक्षरता दर केवल 8.9 प्रतिशत ही थी। "वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरूष साक्षरता दर 82 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत है। राजस्थान, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश बिहार जैसे राज्यों में यह 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता में बिहार (51 प्रतिशत) सबसे पिछड़ा राज्य हैं। इस स्थिति को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभी भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जाने आवश्यक हैं।[4]राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत भी महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा को आवश्यक माध्यम माना गया। इसलिए समाज व राष्ट्र के विकास के लिए माना गया कि महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि शिक्षा के माध्यम से ही की जा सकती है।

प्रस्तुत पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा किस प्रकार अपना महत्त्व रखती है एवं इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं, उनके समाधानों साथ ही वैधानिक प्रयासों का विवेचन एवं विश्लेषण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अतः इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति को प्रयोग में लाया गया है साथ ही द्वितीयक स्त्रोत के रूप में प्रकाशित पुस्तकों, प्रतिवेदनों, ई–स्त्रोत एवं शोध पत्रिकाओं द्वारा तथ्य संकलित किये गये हैं।

## महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की आवश्यकता

सामाजिक व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से होता रहे इसके लिए अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि विकास में स्त्री–पुरूष की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जाये ताकि सामाजिक वातावरण लिंगभेद से रहित होकर परस्पर पूरकता लिये हुए हो। महिला सशक्तिकरण को विविध आयामों जैसे शैक्षिक,

भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, विधिक, राजनैतिक व स्वास्थ्य आदि के संबंध में समझा जा सकता है। स्त्रियों के शैक्षिक सशक्तिकरण से उनकी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ रही है जिससे होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को प्रत्येक समाज के अन्दर देखा जा रहा है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण में एक मील का पत्थर है क्योंकि यही वह आयाम है जो कि महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने एवं जीवन को उचित रूप से निर्वाह करने में सक्षम बनाती है। शिक्षा महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिकऔरआर्थिक व्यवस्था की स्थितियों में सुधार करने के लिए साधन के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए महिला शिक्षा को महत्त्व दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्यता है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाओं की स्थिति : अतीत से वर्तमान तक

आदिकाल में मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। वैदिक काल में गार्गी, सूर्या, अपाला, लोपामुद्रा, रोमशाआदि विदुषी महिलायें थी। मनु स्मृति में भी लिखा है कि **"यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता"**। मध्यकाल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बांझ जैसी कुरीतियाँसमाज में व्याप्त थी। 18वीं सदी में उतरार्द्ध में स्त्रियों के अन्याय के खिलाफ स्वर उठने लगा। 19वीं शताब्दी में शिक्षा, नौकरी, मताधिकार व सम्पति के अधिकार के लिए पश्चिमी देशों में महिलायें संघर्ष करती रही। "28 फरवरी 1909 को अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी में आह्वान करने पर सर्वप्रथम महिला दिवस मनाया गया एवं 1910 के सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया जिसका प्रमुख लक्ष्य था महिलाओं को मत का अधिकार देना। भारत में भी 1828 में राजा राममोहन राय ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिये आदोंलन चलाया। इसी का परिणामथा कि 1829 में सती प्रथा विरोध अधिनियम पारित हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कर स्त्री शिक्षा, बाल विवाह निषेध और विधवा विवाह हेतु अनेक समाज सुधार के कार्य किये गये। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में सुचेता कृपलानी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी, पण्डित दुर्गाबाई देशमुख, कमला देवी चटोपाध्याय, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसी महिलाओं ने अपनी विशेष भूमिका निभायी। सन् 1924 में श्रीमती चमेली देवी चौरासिया के द्वारा भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं से एक प्रस्ताव पेश करने की पेशकश की गई जिसमें स्त्रियों को भी पुरूषों के समान अधिकार प्रदान करने की मांग की गई। स्वतन्त्रता के पश्चात जिस सविंधान सभा का गठन किया गया उनमें 18 महिलाओं को शामिल किया गया जिसमें विजय लक्ष्मी पण्डित, सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, रेणुका राय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामी नाथन, एन्नी मास्करेनी, दक्षियिनी वेलायुथन, दुर्गाबाई देशमुख थी। 1970 के दशक में नारीवादी आन्दोलन का दूसरा चरण प्रारम्भ हुआ। 1990 के दशक में महिलाओं के लिए गैर–सरकारी संगठन बनाये गये। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों में स्त्री–पुरूषों को समान अधिकार प्रदान करता है हालांकि महिला व पुरूष की समानता के प्रश्न पर सामाजिक स्तर पर संघर्ष आज भी जारी है।[5]

## महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ

- समाज में व्याप्त पुरानी रूढियाँ, परम्परायें, महिलाओं का कार्य क्षेत्र में होने वाला शोषण विशेषकर निजी क्षेत्र में, जेन्डर संबंधी असमानता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग,

अल्पसंख्यक सहित कमजोर वर्गों की महिलायें जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुँच अपर्याप्त हैं।

- भारत में महिलाओं को आज सभी क्षेत्रों में वैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं लेकिन समाज में उनहें आज भी इसके लिए संघर्ष करना पडता है। सामाजिक रूप से आज भी भारतीय समाज का मूल स्वरूप पितृसत्तात्मक है। खाप पंचायते एवं धर्म महिलाओं पर विशेष प्रतिबन्ध लगाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी पुरूषों काएकाधिकार रहा है।
- "भारतवर्ष में महिला साक्षरता की दर काफी कम है जिसके कारण अधिकांश महिलाओं को अपनी योग्यताओं के विकास का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। महिलाओं को पुरूषों के बराबर शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता। आज भी लडकों के मुकाबले बहुत कम लडकियाँविद्यालय जा पाती है।
- जिस देश के संविधान में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त है वहाँ लडकियों को जन्म लेने के अधिकार से ही वंचित कर दिया जाता है। महिला शिशुओं की हत्या कर दी जाती है।[6]
- "अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रों द्वारा महिलाओं पर किये गये शोधों के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि करीबन 60 प्रतिशत महिलायें अपने जीवन में हिंसा का शिकार बनती है।[7] घरेलु हिंसा महिला सशक्तिकरण के रास्ते की सबसे बडी रूकावट है।
- खण्डित भारतीय समाज के कारण विभिन्न जातियों की महिलायें किसी समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलकर संघर्ष नहीं कर पातीहैं।
- महिलाओं के यौन शोषण एवं वैश्यावृत्ति के लिए बल प्रयोग तक किया जाता है। हमारे देश में केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं को ही अपने अधिकारो के संबंधों में ज्ञान है। अधिकतर महिलाओं को तो इस संबंध में ज्ञान नहीं है, जिससे सुरक्षा व कानूनों का लाभ कुछ महिलायें ही उठा पा रहीं हैं।

## महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये विभिन्न प्रयास

"भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों एवं नीति–निदेशक सिद्धान्तों में सभी लिगों को समान अधिकार प्रदान करता है। सविंधान में महिलाओं को समानता प्रदान करने के साथ ही उनके विशेष हितों के संरक्षण के लिए सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था की गई है। मौलिक कर्तव्यों के अन्तर्गत भी समाविष्ट किया है कि यदि कोई भी प्रथा जो महिलाओं के प्रतिकूल हो उसे समाप्त कर दिया जाये। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं।[8] संविधान की धारा 14 एंव 15 के अनुसार महिला एवं पुरूष दोनों को बराबरी का अधिकार दिया है साथ ही लिंग आधारित भेदभाव का विरोध किया है। धारा 15 के अनुसार सरकार को इस बात के लिए आगाह किया गया है कि वह लिंग के आधार पर किसी को भी सार्वजनिक स्थानों व सेवाओं का प्रयोग करने से न रोके। धारा 16 के अनुसार स्त्री व पुरूष दोनों को ही सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अवसर दिया गया है। राज्य सरकारों को इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि स्त्री व पुरूष दोनों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाये जायें। एक समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन दिया जाये। उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखकर शोषण से दोनों को बचाया जाये। समुचित परिवेश में कार्य करने के अवसर देकर मातृत्व सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। सविंधान के 73 वें व 74 वें संशोधन बिल में महिलाओं के संसद व विधानमण्डलों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को स्पष्ट किया है।

अन्य पहलों के अन्तर्गत अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1959, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, सती निषेध अधिनियम 1987, दहेज निरोधक अधिनियम 196, घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम 2005, यौन उत्पीडन कानून 2012, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने नारी सशक्तिकरण के लिए अवला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, तेजस्विनी योजना, महिला हेल्प लाइन योजना, उज्जवला योजना, महिला शक्ति केन्द्र, स्टेप योजना (सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लायड प्रोग्राम फॉर वूमेन) जैसी योजनाओं का संचालन किया है। "8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विषय को थीम के रूप में चुनता है। जैसे ए प्रॉमिस इज ए प्रॉमिस : टाइम फॉर एक्शन टू एण्ड वॉयलैस अगेंस्ट वूमन, इक्वेलिटी फॉर वूमेन इज प्रोग्रेस फॉर ऑल, इम्पावरिंग वूमन इम्पावरिंग हुमेनिटी पिक्चर इट, प्लेनेट 50–50 बाय 2030 सेट अप इन फॉर जेण्डर इक्वेलिटी जैसे विषय चयनित किये गये जिनका प्रमुख विषय महिलाओं को समाज में समानता, समान अधिकार घरेलु हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा है।[9] महिलाओं को पुरूषों की भागीदार के रूप में स्वीकृत करने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण नीति प्रारम्भ की गई। जिसके अन्तर्गत महिलाओं से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में विद्यमान संसाधनों, बुनियादी सेवाओं को एक दिशा में निर्देशित करने का प्रस्ताव रखा गया जिसके तहत केन्द्र व राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया कि किसी भी कार्यक्रम व योजना का कम से कम 20 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचे एवं इन व्यवस्थाओं की उचित रूप से मॉनिटंरिग की जाये। "वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया। वर्ष 2001–2002 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) की तैयारी का भी वर्ष था एवं इसी वर्ष महिला सशक्तिरण के विकास पर भी बल दिया।[10]

इन सब के अलावा भी भारत सरकार विभिन्न विभाग मंत्रालयों के द्वारा महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम व योजनायें क्रियान्वित कर रही है। जैसे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, महिला समाख्या आजीविका और इन्दिरा आवास योजना, जेण्डर बजटिंग योजना, सिडबी की महिला उद्यम निधि, महिला विकास निधि, स्वावलम्बन योजना, राष्ट्रीय गाँधी योजना (2010), राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन, कामकाजी व बीमार माँ के बच्चो के लिए क्रेच/डे–केयर सेन्टर, एनजीओ की क्रेडिट योजनायें, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, स्वाधार योजना, स्वंयसिद्धा योजना, इन्दिरा प्रियदर्शनी योजना, एसबीआई की श्री सखी योजना, इन्दिरा महिला केन्द्र, धनलक्ष्मी योजना, महिला समिति योजना, शॉर्ट स्टे हॉम्स योजना, महिला विकास निगम योजना, कामकाजी महिला मंच, स्वंय शक्ति समूह जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। इन योजनाओं का उचित रूप से क्रियान्वन तभी संभव है जबकि महिलाओं द्वारा इसमें उचित रूप से भागीदारी निभायी जाये और यह तभी संभव है जब महिलायें शिक्षित हों।

हाल ही में लोकसभा व राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 (128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक) अथवा **नारी शक्ति वंदन अधिनियम** पारित कर दिया जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिये एक–तिहाई सीटें आरक्षित की गई। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। विधेयक में प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटे राज्यों या केन्द्रशासित प्रदेशों में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आंवटित की जा सकती है। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए थी कि संसद में लोकसभा में 82 महिला सांसद (15.12 प्रतिशत) एवं राज्य सभा में 31 महिलायें (13 प्रतिशत) ही हैं। जिससे महिलाओं को पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस विधेयक के आने से महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी।

## महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख सुझाव

- महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिक्षा की प्राप्ति सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है। देश की सरकार को यह सुनिशचित करना चाहिये कि वह प्रत्येक महिला को शिक्षा प्रदान कराने का उचित प्रयास करे ताकि महिलायें आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त हो सकें एवं महिलाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने की आवश्यकता के बारे में समाज के पुरूष सदस्यों को भी शिक्षित व जागरूक होना चाहिये। वैधानिक प्रणाली का सशक्तिकरण करके सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त किया जाये।
- ″महिलाओं में देश की लगभग आधी आबादी शामिल है। यदि महिलाओं के ज्ञान व कौशल का उचित रूप से उपयोग किया जाये तो यह देश के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगा।[11]महिलाओं को हर क्षेत्र में शिक्षा प्रदान की जाये।
- समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान समानता प्राप्त होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के द्वारा ही वे अपने विचारों को खुलकर समाज के सामने रख सकेगीं। महिला सशक्तिरण गरीबी दूर करने में भी सहायक होगा वे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ायेंगी।″महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग स्कूल व कॉलेज खोले जायें एवं उनके लिये समान सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था की जाये। समाज भी ″**महिला**″ शब्द के प्रति अपनी मानसिकता को बदले। महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता व आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना होगा।[12]
- महिलाओं के हित की योजनाओं में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाये।लिंग समानता को विकास के एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके, विवाह व तलाक संबंधी कानूनों में परिवर्तन करके उन्हें महिलाओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिये।विभिन्न सवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को सुरक्षित किया जाये।″महिलाओं के लिये केवल विद्यालय स्तर की नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा भी निःशुल्क होनी चाहिए।[13]सालाना बजट में जेंडर बजटिंग का प्रावधान करना चाहिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ महिलाओं को भी सभी मानवाधिकारों और भौतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति होनी चाहिए।
- शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव को मिटाया जाना चाहिए। निरक्षरता दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति बनाने, लड़कियो के नांमाकन व अवधारण की दरों में वृद्धि करने, जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। लड़कियो और महिलाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समेत कमजोर वर्ग की लड़कियों व महिलाओं पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहियें। लिंग सवेंदी कार्यक्रम विकसित किये जाने चाहियें। निवारक व दण्डात्मक दोनो प्रकार के दृढ़ उपाय अपनाकर महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव व उनके अधिकारों के हनन को दूर करने के उपाय किये जाने चाहियें।

### निष्कर्ष :

वर्तमान समय में जिस तरह भारत देश दुनिया के तेजी से आर्थिक तरक्की करने वाले देशों में शामिल हुआ है उसे देखते हुए आने वाले समय में भारत के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यन्त

आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को बदलकर उन्हे शिक्षित किया जाये क्योंकि भारत की सामाजिक–आर्थिक प्रगति महिलाओं की सामाजिक आर्थिक प्रगति पर निर्भर करती है। जागरूकता, शिक्षा, सामाजिक बाधाओं को दूर कर आगे आने की आवश्यकता है। शिक्षित महिलायें ही अपने सामाजिक स्तर में सुधार करके निर्भीकता से राज्य विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। नारी शिक्षा आज के युग की आवश्यकता है और वही समाज जिसमें महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, सशक्त किया जाता है, सम्मान किया जाता है वही एक उन्नत समाज बन सकता है।

## सन्दर्भ :


1. आर्य राकेश कुमार (2020), महिला सशक्तिकरण और भारत, डायमण्ड पॉकेट बुक्स प्रकाशक, पृष्ठ संख्या–11
2. शिक्षा विमर्श, एक शैक्षिक व साहित्यिक पत्रिका (17 नवम्बर 2012), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका।
3. कुमारी वीणा (2017), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, पृष्ठ संख्या–327
4. कुमारी सारथी (2019), महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ एडवान्स्ड एकेडमिक स्टडीज, पृष्ठ संख्या–306
5. महिला विकास एवं सशक्तिकरण, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला सतना (मध्यप्रदेश) पृष्ठ संख्या 25–28
6. योग और समाज में मूल्य, महिला सशक्तिकरण, ईकाई–3, पृष्ठ संख्या–73
7. टाइम्स ऑफ इण्डिया (17 दिसम्बर 2004), डोमेस्टिक वॉयलेन्स,
8. वार्षिक रिपोर्ट (2018–19), महिला सशक्तिकरण व संरक्षण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पृष्ठ संख्या–7
9. त्रिपाठी सविता (2019), महिला सशक्तिकरण, IJRAR 2019, Volume 6, issue 1, (E-ISSN2348_1269, P-ISSN, 2349-5138) पृष्ठ संख्या 5–7,
10. मिश्रा आभा (2016), महिला सशक्तिकरण एवं स्वंय सहायता समूह : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण रांची जिले के नामकुम प्रखण्ड के विशेष सन्दर्भ में, जनरल ऑफ सोशियो एजूकेशनल एण्ड कल्चरल रिसर्च, वाल्यूम–2, नम्बर 5, जुलाई–दिसम्बर, 2016, ISSN – 2394 – 2878, पृष्ठ संख्या–76,
11. सिंह विकास (25 जुलाई 2019), भारत में महिलाओं के विकास में बाधायें, द इण्डियन वायर
12. शर्मा शीतल (2017), भारत में महिला सशक्तिकरण व योजनायें : एक अध्ययन, IJSRST/ Volume 3/ Issue 7/ Print ISSN : 2395-6011/ ISSN_2395-602 X पृष्ठ संख्या–1561
13. सरस्वती (2020–21), समाज में महिलाओं के अधिकार सशक्तिकरण एवं चुनौतियों का अध्ययन, जिला सरगुजा के सन्दर्भ में, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छतीसगढ़), पृष्ठ संख्या 57–58,